वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली.110 001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi- 110 001

No. सं.5-1(87)2010-पीडी Dated 03.11.2026

प्रेषक : संयुक्त सचिव (प्रशासन)

सेवा में: सभी सीएसआईआर राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/मुख्यालय/इकाइयों के निदेशक/प्रमुख

विषय: सीएसआईआर में समूह-I और समूह-II कर्मचारियों (सहायक स्टाफ) की परिवीक्षा अवधि (Probation Period) के संबंध में स्पष्टीकरण।

महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस कार्यालय को सीएसआईआर में सीधी भर्ती (Direct Recruitment) के माध्यम से समूह-I और समूह-II (सहायक स्टाफ) के पदों पर नियुक्त कर्मचारियों की परिवीक्षा अवधि से संबंधित स्पष्टीकरण मांगने वाले संदर्भ प्राप्त हो रहे हैं। इस मामले की जांच भारत सरकार के मौजूदा निर्देशों और प्रासंगिक सीएसआईआर नियमों/प्रावधानों के आलोक में की गई है।

2. "केंद्रीय सेवाओं मे परिवीक्षा/पुष्टि" पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के दिनांक 24.11.2022 के कार्यालय ज्ञापन सं.DOPT-1669273111735 के अनुसार, सीधी भर्ती के मामलों में सामान्य परिवीक्षा अवधि दो (02) वर्ष है, उन श्रेणियों को छोड़कर जो उसमें विशेष रूप से निर्धारित अपवादों के अंतर्गत आती हैं।

3. तदनुसार, भविष्य की भर्तियों में सीएसआईआर स्तर पर एकरूपता सुनिश्चित करने और सीएसआईआर प्रयोगशालाओं/संस्थानों के बीच अस्पष्टता विसंगति या भिन्न प्रथाओं से बचने के उद्देश्य से, मुझे यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि समूह-I और समूह-II (सहायक स्टाफ) के पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त व्यक्तियों के लिए परिवीक्षा अवधि दो (02) वर्ष होगी।

4. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि:- उन मामलों के संबंध में जहां अतीत में सीएसआईआर प्रयोगशालाओं/संस्थानों द्वारा अलग-अलग परिवीक्षा अवधि निर्धारित की गई है:

(i) जहां भर्ती प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है और संबंधित भर्ती विज्ञापन और/या नियुक्ति प्रस्ताव (Offer of Appointment) में विशेष रूप से निर्धारित नियमों और शर्तों के आधार पर नियुक्तियां की जा चुकी है, ऐसे मामलों को केवल वर्तमान स्पस्टीकरण के कारण फिर से नहीं खोला जाएगा, ताकि अनावश्यक प्रशासिनक जटिलताओं से बचा जा सके।

(ii) जहां संबंधित भर्ती विज्ञापन में विशेष रूप से परिवीक्षा की अवधि निर्धारित नहीं की गई है, वहां परिवीक्षा अवधि दो (02) वर्ष की होगी।

पृष्ठ 1/2

5. उपर्युक्त स्पष्टीकरण को जानकारी, मार्गदर्शन और अनुपालन के लिए आपकी प्रयोगशाला/संस्थान/इकाई में सभी संबंधित अधिकारियों के ध्यान में लाया जाए।

भवदीया,

(वंदना दिग्विजय सिंह)
उप सचिव (नीति प्रभाग)

प्रतिलिपि:

1. सभी सीएसआईआर राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/मुख्यालय/इकाइयों के वरिष्ठ उप सचिव/वरिष्ठ प्रशासनिक नियंत्रक/उप सचिव/प्रशासनिक नियंत्रक/अवर सचिव/प्रशासनिक अधिकारी
2. महानिदेशक का कार्यालय, सीएसआईआर
3. संयुक्त सचिव (प्रशासन) का कार्यालय, सीएसआईआर
4. सीएसआईआर वेबसाइट
5. कार्यालय प्रति